कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
129, ओल्ड नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड देहरादून।

संख्याः 754 /परिपत्र–कारा0–बन्दी/09 देहरादूनः:दिनांकः 24, जून, 2009

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग उत्तराखण्ड।

विषय– कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की फोटोग्राफी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि उत्तराखण्ड राज्य गठनोपरान्त माफिया व संगठित गिरोहों की अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण किये जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रदेश की कारागारों में खतरनाक किस्म के आपराधिक तत्व तथा माफिया व संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रबन्धन प्रभावित हो रहे हैं। यद्यपि प्रिजन्स एक्ट 1894 तथा जेल मैनुअल में और इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत कारागारों के भीतर बन्दियों के सुरक्षित रखरखाव, उनसे मुलाकात, सम्बन्धित न्यायालयों के समक्ष पेशी पर पुलिस अभिरक्षा में ले जाने, कारागार प्रशासन को चुस्त रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक व सामयिक निरीक्षण एवं अन्य संगत विषयों के सम्बन्ध में समुचित निर्देश पूर्व से ही विद्यतान हैं, परन्तु ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इन निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतएव उक्त के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है किः–

1– कारागारों में निरूद्ध प्रत्येक बन्दी की कारागार में प्रवेश के समय फोटोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि पलायन जैसी घटना के कारित किये जाने पर बन्दी के पहचान चिन्हों सहित फोटोग्राफ भी कारागार द्वारा उपलब्ध कराया जा सके एवं बंदी की पुनः गिरफ्तारी हेतु पुलिस विभाग व जन सामान्य को भी अपराधी/बन्दी की पहचान करने में सुविधा हो सके।

2– खतरनाक व माफिया प्रकृति के बंदियों के कारागार में निरूद्धि के दौरान सर्तकता बरती जाय व उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाय।

3– कारागारों से बाहर जाते समय व वापस कारागारों में दाखिल करते समय पुलिस एस्कोर्ट के प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से ऐसे बंदियों की तलाशी लिया जाना एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र जेल गेटबुक में अँकित किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

4– खतरनाक व माफिया प्रकृति के बंदियों से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण अँकित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5– खतरनाक व माफिया प्रकृति के सम्प्रति कारागारों में निरूद्ध बंदियों के संबंध में विवरण मुख्यालय को प्राप्त कराया जाय।

अतएव उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं परिपत्र की प्राप्ति मुख्यालय को सूचित की जाय।

23/6/09 23/06/09 23/6/09

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।

33 PSA

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
129, ओल्ड नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड देहरादून।

संख्याः 769 /परिपत्र–कारा0–बन्दी/09 देहरादूनः:दिनांकः 29, जून, 2009

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग उत्तराखण्ड।

विषय– कारागारों में निर्धारित समय पर ड्यूटी हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि कारागारों की सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु पूर्व में कारागार मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या–1250 दिनांक 04.01.2007, सं0–466 दिनांक 29.03.2007, सं0–858 दिनांक 07.08.2007, सं0–867 दिनांक 09.08.2007, सं0–1195 दिनांक 28.11.2007, सं0–357 दिनांक 26.03.2009 एवं परिपत्र सं0–754 दिनांक 24.06.2009 निर्गत किये गये हैं। परन्तु उप कारागार हल्द्वानी में गत माह हुई बन्दी पलायन की घटना ये यह तथ्य उजागर हुआ है कि कारागारों द्वारा कारागारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का प्रभावी अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

2– अतएव पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रिजन्स एक्ट 1894 तथा जेल मैनुअल में और इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत कारागारों के भीतर बन्दियों के सुरक्षित रखरखाव, उनसे मुलाकात, सम्बन्धित न्यायालयों के समक्ष पेशी पर पुलिस अभिरक्षा में ले जाने, कारागार प्रशासन को चुस्त रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक व सामयिक निरीक्षण एवं अन्य संगत विषयों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रातः 10:00 बजे समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हो जायें। प्रातः 10:15 बजे प्रभारी अधिकारी के समक्ष उपस्थिति पंजिका प्रस्तुत कर दी जाय एवं विलम्ब से ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले कर्मियों को चेतावनी दी जाय व दिनचर्या में सुधार न लाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

4– जहॉ पर ड्यूटी शिफ्ट में हैं, यह सुनिश्चित किया जाय कि शिफ्ट में ड्यूटी हेतु सुरक्षा कर्मी निर्धारित समय पर आयें। निर्धारित समय के 05 मिनट के अन्तराल पर सक्षम अधिकारी द्वारा चैक किया जाय और समय से न आने की दशा में विलम्ब से उपस्थित होने वाले कर्मी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। सुरक्षा कर्मी गेटबुक में अन्दर आने की प्रविष्टि के उपरान्त निर्धारित ड्यूटी की बैरक में बन्दियों की गणना किये जाने के उपरान्त पुनः प्रभार में पाये गये बन्दियों की प्रविष्टि गेटबुक में करें एवं निर्धारित ड्यूटी स्थल पर जाकर पूर्व से ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी को मुक्त करें एवं पूर्व ड्यूटी वाले बन्दीरक्षक तदोपरान्त बैरक लिस्ट एवं गेटबुक में प्रविष्टि कर जेल से बाहर जायें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित करें कि निर्देशानुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई बरते जाने पर अधीक्षक/कारापाल दोषी ठहराये जायेंगे।

29/6/09

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।

45 PSA

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
129, ओल्ड नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड देहरादून।

संख्याः 868 / परिपत्र–कारा0–सुरक्षा / 09 देहरादूनः:दिनांकः 9 जुलाई, 2009

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग उत्तराखण्ड।

विषय– कारागारों तथा कारागार परिसर की सुरक्षा सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारागारों की सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु पूर्व में कारागार मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या–1250 दिनांक 04.01.2007, सं0–466 दिनांक 29.03.2007, सं0–858 दिनांक 07.08.2007, सं0–867 दिनांक 09.08.2007, सं0–1195 दिनांक 28.11.2007, सं0–357 दिनांक 26.03.2009 एवं परिपत्र सं0–754 दिनांक 24.06.2009 एवं सं0–769 दिनांक 29.06.2009 निर्गत किये गये

2– प्रिजन्स एक्ट 1894 तथा जेल मैनुअल में और इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत कारागारों के भीतर बन्दियों के सुरक्षित रखरखाव, उनसे मुलाकात, सम्बन्धित न्यायालयों के समक्ष पेशी पर पुलिस अभिरक्षा में ले जाने, कारागार प्रशासन को चुस्त रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक व सामयिक निरीक्षण एवं अन्य संगत विषयों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य की सीमायें पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी नक्सल प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब से मिलती हैं। ऐसी स्थिति में जबकि सरकारें नक्सलियों पर लगातार ज्यादा ताकत झोंक रही है, वहीं नक्सली भी अपनी हद फैलाने के लिये तथा अपनी ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने हेतु किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उक्त स्थिति में प्रदेश की कारागारों पर विभिन्न प्रकार के जन विरोधी तत्वों की निरूद्धि की स्थिति में कारागारों के भी नक्सलियों का निशाना होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतएव प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

4– सुरक्षा की दृष्टि से नगर नियंत्रण कक्ष तथा जनपद के सभी थाना / चौकियों एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क हेतु उनका दूरभाष नम्बर सुलभ स्थान पर अँकित किये जायें ताकि किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर जेल एवं पुलिस प्रशासन में तारतम्य बना रहे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि दिन व रात्रि में पुलिस का नगर नियंत्रण वाहन कारागार स्थल क्षेत्र में मोबाइल रहता है अथवा नहीं। यदि नही तो तत्काल व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। इस संबंध में मुख्यालय के पत्र सं0–1065 दिनांक 10.10.2007 द्वारा पूर्व में ही निर्देश निर्गत भी किये जा चुके हैं।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित करें कि निर्देशानुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई बरते जाने पर अधीक्षक / कारापाल दोषी ठहराये जायेंगे।

9/7/09 09/07/09 9/7/09

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।

53 PSA

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

जिला कारागार देहरादून परिसर, देहरादून।

संख्याः 84 /परिपत्र–कारा0–बन्दी/09 देहरादूनः:दिनांकः 03 फरवरी, 2010

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग उत्तराखण्ड।

विषय– कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रमुख सचिव, गृह, सतर्कता, राजस्व, आपदा प्रबन्धन एवं शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0–279/पी0एस0/2009 दिनांक 19.01.2010 कारागार मुख्यालय में गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांकित 25.01.2010 के द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र द्वारा जेल के भीतर से कैदियों द्वारा अवैध वसूली किये जाने के विषयान्तर्गत प्रमुख सचिव, गृह, सतर्कता, राजस्व, आपदा प्रबन्धन एवं शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांकित 19.01.2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए पत्र में कारागार विभाग से सम्बन्धित बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि संलग्न पत्र दिनांकित 19.01.2010 दिनांक 18 जनवरी 2010 को वीडियो कान्फ्रेन्स द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में मा0मुख्य मंत्री जी द्वारा शान्ति व्यवस्था/सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशान्तर्गत है, जिसके बिन्दु –3 के अन्तर्गत जेल के भीतर से कैदियों द्वारा वसूली कार्यवाही किये जाने की खबरें प्राप्त होना उल्लिखित है।

उपर्युक्त विषयक कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने विषयक कारागार मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–466 दिनांक 29.मार्च 2007, 2007, सं0–858 07.08.2007, सं0–867 दिनांक 09.08.2007, सं0–1195 दिनांक 28.11.2007 सं0–1250 दिनांक 04.01.2008, सं0–357 दिनांक 26.03.2009, सं0–754 दिनांक 24.06.2009, सं0–808 दिनांक 09.07.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। समय–समय पर उक्तानुसार निर्गत परिपत्रों के प्रेषण के उपरान्त भी यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतएव उक्त के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए तत्काल मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1– खतरनाक व माफिया प्रकृति के बंदियों के कारागार में निरूद्धि के दौरान सर्तकता बरती जाय व उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाय।

2– कारागारों से बाहर जाते समय व वापस कारागारों में दाखिल करते समय पुलिस एस्कोर्ट के प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से ऐसे बंदियों की तलाशी लिया जाना एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र जेल गेटबुक में अँकित किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

3– खतरनाक व माफिया प्रकृति के बंदियों से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण अँकित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4– खतरनाक व माफिया प्रकृति के सम्प्रति कारागारों में निरूद्ध बंदियों के संबंध में विवरण मुख्यालय को प्राप्त कराया जाय।

अतएव उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं परिपत्र की प्राप्ति मुख्यालय को सूचित की जाय।

संलग्नः यथोपरि।

01/2/10

01/02/10

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।

64 PSA

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
जिला कारागार देहरादून परिसर, देहरादून।

संख्याः 687 /रा0मा0आ0–विविध/10 देहरादूनःःदिनांकः 13 जुलाई, 2010

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

विषयः **कारागार के अन्दर मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि जेल मैनुअल प्रस्तर–1117 में निषिद्ध वस्तुऐं वर्णित करते हुए नियमों के विरूद्ध ऐसी चीजें कारागार की सीमा के बाहर प्रस्तुत करना या हटाना कारागार अधिनियम की धारा–42 के अधीन दण्ड की सीमा में होना निर्दिष्ट होना आदेशित हैं। भारत सरकार द्वारा कारागारों में मादक द्रव्य पदार्थों के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है। मादक द्रव्य सामाजिक बुराई है जो सामाजिक वातावरण तथा आर्थिक प्रगति में बाधक है। मादक द्रव्यों के व्यापारी प्रायः कारागार जैसे सुरक्षित स्थान को अपना अड्डा बनाते हैं। लोगों में मादक द्रव्य सेवन अपराध को जन्म देता है एवं वहीं तत्व कारागार में प्रविष्ट होते हैं और कारागार के अन्दर से अपना घन्धा चलाते हैं। मादक द्रव्य एवं अपराध का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव कारागारों में निरूद्ध बन्दियों में मादक द्रव्य सेवन रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। यह कार्यवाही से न केवल नशेड़ी बन्दियों के उपचार में वरन कारागारों में अवैध व्यापार पर प्रतिबन्ध पर अनुकूल प्रभावकारी होगी।

इस सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जाते हैंः–

1– कारागार स्टाफ को मादक द्रव्य से संबंधित मामलों में पड़ने वाले प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाय।

2– कारागार स्टाफ को मादक द्रव्य का पता लगाने व पकड़ने हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु पुलिस विभाग से सम्पर्क किया जाय।

3– कारागारों में मादक द्रव्यों की खोज हेतु यथावश्यकता सूँघने वाले कुत्ते पुलिस विभाग से प्राप्त किये जायें।

4– कारागार में निरूद्ध व्यसनी व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाय और आवश्यकरूप से उन्हें उन्मूलन केन्द्र भेजा जाय।

5– कारागार में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक बंदी का परीक्षण किया जाय व आवश्यकतानुसार उसे उन्मूलन केन्द्र भेजा जाय।

निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पत्र की प्राप्ति सूचित की जाय।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड,देहरादून।

Chaudhary
8/7/10.

8/7/10

6/07/10

13ФSA